2036/2010

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2014 **Order** Dated Shimla-171002. the 14-10-14

Sub :- जिला शिमला में रोहरू वन प्रभाग के अन्तर्गत नाडू–निगली (कि0मी0 0/00 से 0/350) के निर्माण हेतु 0.72 हे0 वन भूमि का हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तन ।

भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय मध्य क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9-HPB511/2010-CHA/349दिनांक 19.09.14** के परिणामस्वरुप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **0.72 hectares** वन भूमि को Ex-Enginer, B & R Division, Rohru, Distt. Shimla, H.P. को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करती है।

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।

2 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के दुगुने वन भूमि अर्थात 1.44 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

3 सक्षम स्तर से शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि में यदि कोई बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की बढी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

4 प्रयोक्ता एजैंसी द्वारा डम्पिंग साइट का रिक्लेमेशन योजना कायान्वित किया जाएगा। वन मण्डल अधिकारी निजी तौर पर इस शर्त के कियान्वयन को सुनिश्चित करेगा कि मलबा स्थल का उचित रूप से Reclamation कर दिया गया है।

5 मलबे का प्रयोग स्थानिय रूप से पुख्ता–दीवार (Retaining Wall) के पीछे गड्ढो को भरने/ढलानों के सुधार के लिए किया जायेगा। इसे पहाडी ढलान के नीचे बिल्कुल नही गिराया जायेगा तथा न ही नालों आदि में गिराया जाएगा।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एव भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

6 यदि कोई अन्य संबधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना / प्रयोक्ता एजेसी की जिम्मेवारी होगी।

7 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।

8 प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।

9 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ को रसोई गैस / किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।

10 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/ स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

11 प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से / पर निर्माण कार्य के दौरान मिटटी / पत्थर काटने एव भरने का कार्य नही किया जाएगा।

12 प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंताषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2014 (FCA) Dated, Shimla-171001 the,...

FCA Final Approval

P.T.O